

Cir No. 11 /M-2/2023

13th June 2023

TO ALL PRIMARY & DISTRIBUTOR MEMBERS OF THE ASSOCIATION:

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करना चाहते हैं हमारे सदस्यों की ओर से निरंतर अनुरोध किया गया है कि एसोसिएशन को पिछले 3 वर्षों के भीतर के बकाया की शिकायतों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुलह प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।

हमें सभी को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि एसोसिएशन ने 13 जून 2023 से 31 अगस्त 2023 तक के सीमित अवधि के लिए वन-टाइम स्पेशल विंडो खोलने का फैसला किया है जिसमें एसोसिएशन पुराने बकाया के ऐसी शिकायतों को स्वीकार करेगी, बशर्ते बिक्री/Goods Return/पैसे की रसीद/चेक अनादरण इस तरह का लेन-देन 3 साल की अवधि के भीतर मौजूद हो (यानी 01.09.2020 से 31.08.2023 की अवधि में मौजूद हो)। कृपया ध्यान दें कि 01.09.2023 से केवल उन्हीं शिकायतों को एसोसिएशन द्वारा स्वीकार किया जाएगा यदि, जहां अंतिम लेनदेन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है 18 महीने की अवधि के भीतर है।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी पुरानी शिकायतों को दर्ज करने के लिए इस सीमित अवधि के विशेष विंडो का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया श्री संजय भालेकर से 022-44750909 Ext1114 अथवा 9819692580 पर संपर्क करें।

धन्यवाद,

सादर,



P. Chandrasekharan
Senior Director & Secretary

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai
400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru•New Delhi •Pune

Follow us:

